**संख्या–1055 / पांच–5–2020**

**प्रेषक,**

**वी0 हेकाली झिमोमी,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

**चिकित्सा अनुभाग–5** **लखनऊः दिनांक ~~06~~ 07 मई, 2020**

**विषय–क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखे गये व्यक्तियों पर व्यय–भार के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को अधिक न फैलने देने के लिए, फैसिलिटी क्वारेन्टाईन का संचालन किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हुए व्यक्ति, विदेश से आये हुए यात्री एवं तबलीगी जमात के सदस्य आदि को इनमें रखा गया है।

2. उक्त क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखे गये व्यक्तियों के भोजन/खाद्य सामग्री, पेयजल, साफ शौचालय एवं समुचित साफ–सफाई पर हो रहा व्यय राज्य आपदा मोचक निधि से किया जाएगा। राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–190/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, दिनांक 20 अप्रैल, 2020 द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिसके अनुसार क्वारेन्टाईन में रखे गए व्यक्तियों को एक भोजन की अधिकतम कीमत रू0–40/– अनुमन्य किया गया है। शासनादेश संख्या–241/एक–11–2020 दिनांक 08.04.2020 में क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय एवं समुचित साफ–सफाई रखने के दिशा–निर्देश दिए गए है। क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रह रहें व्यक्तियों के मेडिकल केयर पर आने वाला व्यय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यह आदेश राजस्व विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**भवदीया,**

**( वी0 हेकाली झिमोमी )**
सचिव।

**संख्या–1055 (1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

**( प्राणेश चन्द्र शुक्ल )**
उप सचिव।

Scanned with CamScanner